

राजस्थान विधान सभा

अष्टम सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनार्ये

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त एवं विधि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-95 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-96 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भूमि कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-97 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत पूर्व में जारी अधिसूचना को अतिष्ठित किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-98 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को उनके पदाभिधान के आधार पर कतिपय क्षेत्रों के लिये उप-रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-99 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(47)एफडी/टैक्स/09-04 दिनांक 09.4.2010 में संशोधन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-100 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग कम्पनियों के अमलगमेशन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-101 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-102 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 में संशोधन किया गया है ;
- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-103 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

- 10- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-104 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
- 11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-105 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में कर भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई है ;
- 12- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-106 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर हेतु व्यवहारियों का वर्ग अधिसूचित किया गया है ;
- 13- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-107 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-150 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है ;
- 14- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-108 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-151 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है ;
- 15- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-109 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 में संशोधन किया गया है ;
- 16- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-110 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान (होटल और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1990 में कर भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई है ;
- 17- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-111 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-37 दिनांक 6.5.2006 में संशोधन किया गया है ;
- 18- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-112 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-39 दिनांक 6.5.2006 में संशोधन किया गया है ;
- 19- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-113 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-164 दिनांक 15.3.2011 में दिनांक 1.4.2012 से संशोधन किया गया है ;
- 20- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-114 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में इसके द्वारा दिनांक 1.4.2012 से संशोधन किया गया है;
- 21- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-115 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों का वर्ग दिनांक 1.4.2012 से अधिसूचित किया गया है;

- 22- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-116 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;
- 23- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-117 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 24- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-118 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन किया गया है ;
- 25- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-119 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
- 26- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-120 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ;
- 27- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-121 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा मनोरंजन के सभी प्रवर्गों पर प्रभार्य मनोरंजन कर का परिहार किया गया है ;
- 28- अधिसूचना संख्या: एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-122 दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 29- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2012/1-क्यूए दिनांक 26 मार्च.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.6(179)परि/कर/ मु./95/1-पी दिनांक 9.3.2010 में संशोधन किया गया है।

विधि विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.8(1)विधि-2/95 दिनांक 11.1.2012 जिसके द्वारा राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.8(1)विधि-2/95 दिनांक 14.3.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.8(1)विधि-2/95 दिनांक 11 जनवरी, 2012 में शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी:-

- 1- सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के मसुरिया क्षेत्र की 50 से अधिक वर्षों से आबाद सन्तोषपुरा कच्ची बस्ती का नियमन किये जाने बाबत् ; एवं
- 2- सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के प्रताप नगर क्षेत्र में सीवरेजविहीन क्षेत्र में सीवरेज बिछाने बाबत् ।

(2) श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

- 1- पंचायत समिति बालेसर में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत सर्वे 2003 में चयनित ढाणियों में नलकूप/ओपन वेल खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत् ;
- 2- पंचायत समिति शेरगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत सर्वे 2003 में चयनित ढाणियों में नलकूप/ओपन वेल खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत् ;
- 3- पंचायत समिति शेरगढ़ की राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित अभावग्रस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ढाणियों (नेशल हैबिटेशन सर्वे, 2003) को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत नवीन नलकूप/जीएलआर/टांका में पाईप लाईन से जोड़ने बाबत् ;
- 4- पंचायत समिति बालेसर में नाकारा हैण्डपम्प व नाकारा बोरवेल में सिंगल फेस पावर पम्प के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प व बोरवेल में सिंगल फेस पावर पम्प की स्वीकृति जारी करवाने बाबत् ;
- 5- पंचायत समिति शेरगढ़ में नाकारा हैण्डपम्प व नाकारा बोरवेल में सिंगल फेस पावर पम्प के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प व बोरवेल में सिंगल फेस पावर पम्प की स्वीकृति जारी करवाने बाबत् ; एवं
- 6- पंचायत समिति बालेसर की राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित अभावग्रस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ढाणियों (नेशल हैबिटेशन सर्वे, 2003) को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत नलकूप/जीएलआर/टांका में पाईप लाईन से जोड़ने बाबत् ।

(3) श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य, विधान सभा, प्रताप नगर, सांगानेर (जयपुर) स्थित सैक्टर-62 में स्थित पार्क में लगे ट्रांसफॉर्मर (बिजली) को पार्क से बाहर लगाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2011-2012 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.3 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 143वाँ प्रतिवेदन ;
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सिविल) का प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 4.1.1 शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 144वाँ प्रतिवेदन ;
3. जनलेखा समिति, 2010-11 के 53वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 145वाँ प्रतिवेदन ;
4. जनलेखा समिति, 2010-11 के 57वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 146वाँ प्रतिवेदन ;
5. जनलेखा समिति, 2009-10 के 38वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 147वाँ प्रतिवेदन ;
6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.2.4 उद्यान विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 148वाँ प्रतिवेदन ;
7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 4.1 में समाविष्ट वन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 149वाँ प्रतिवेदन ;
8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सिविल) का प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 3.1.2 में समाविष्ट प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 3.4.5 में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 150वाँ प्रतिवेदन ;
9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.2.1 सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 151वाँ प्रतिवेदन ;
10. जनलेखा समिति, 2010-11 के 60वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 152वाँ प्रतिवेदन ;

11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सिविल) का प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.1.4 आपदा प्रबंधन एवं सहायता तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.2.5 व 3.4.2 राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित मामलो पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 153वाँ प्रतिवेदन ;
 12. जनलेखा समिति वर्ष 2004-2005 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा0प्रा0) में समाविष्ट खान एवं पेट्रोलियम विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 154वाँ प्रतिवेदन ;
 13. जनलेखा समिति वर्ष 2006-2007 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा0प्रा0) में समाविष्ट खान एवं पेट्रोलियम विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 155वाँ प्रतिवेदन ; एवं
 14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2011-12 का 156वाँ प्रतिवेदन ।
- (2) कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य, नियम समिति, 2011-2012 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।
- (3) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2011-2012 समिति के इक्कीसवें एवं बाईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी ।

5. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

1. “इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 2012-2013 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।
2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति ‘क’, 2012-2013 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2012-2013 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।
4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

6. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012

- राजस्थान विधियां (संशोधन)
विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-13)
- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
“राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।”
 - (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा।

कृष्ण मुरारी गुप्ता
उप सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 27 मार्च, 2012